



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 57-2023/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, MARCH 21, 2023 (PHALGUNA 30, 1944 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 21st March, 2023

No. 7-HLA of 2023/114/4799.— The Haryana Control of organized Crime, Bill, 2023 is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly:-

Bill No. 7-HLA of 2023

THE HARYANA CONTROL OF ORGANISED CRIME BILL, 2023

A

BILL

to make special provisions for prevention and control of, and for coping with criminal activity by organised crime syndicate or gang and for matters connected therewith or incidental thereto.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventy-fourth Year of the Republic of India as follows:-

1. (1) This Act may be called the Haryana Control of Organised Crime Act, 2023. Short title, extent and commencement.
(2) It extends to the whole of the State of Haryana.
(3) It shall come into force on such date, as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.
2. (1) In this Act, unless the context otherwise requires,- Definitions.
 - (a) "abet" with its grammatical variations and cognate expressions, includes,-
 - (i) the communication or association with any person with the actual knowledge or having reason to believe that such person is engaged in assisting in any manner an organised crime syndicate;
 - (ii) the passing on or publication of, without any lawful authority, any information likely to assist the organised crime syndicate and the passing on or publication of or distribution of any document or matter obtained from the organised crime syndicate; and
 - (iii) the rendering of any assistance, whether financial or otherwise, to the organised crime syndicate;

- (b) “Code” means the Code of Criminal Procedure, 1973 (Central Act 2 of 1974);
- (c) “continuing unlawful activity” means an activity prohibited by law for the time being in force, which is a cognizable offence punishable with imprisonment of three years or more, undertaken either singly or jointly, as a member of an organised crime syndicate or on behalf of such syndicate in respect of which more than one charge-sheets have been filed before a competent court within the preceding period of ten years and that court has taken cognizance of such offence;
- (d) “organised crime” means any continuing unlawful activity by an individual, singly or jointly, either as a member of an organised crime syndicate or on behalf of such syndicate by use of violence, threat of violence, intimidation, coercion or other unlawful means with the objective of gaining pecuniary benefits or undue economic or other advantage for himself or any other person or promoting insurgency;
- (e) “organised crime syndicate or gang” means a group of two or more persons, who acting either singly or jointly, as a syndicate or gang, indulge in activities of organised crime;
- (f) “State Government” means the Government of the State of Haryana in the Home Department;
- (g) “Special Court” means the Special Court constituted under section 5.

(2) Words and expressions used but not defined in this Act and defined in the Code shall have the meanings respectively assigned to them in the Code.

Punishment for organised crime.

- 3.** (1) Whoever commits an offence of organised crime shall,
- (i) if such offence has resulted in the death of any person, be punishable with death or imprisonment for life and shall also be liable to a fine which shall not be less than ten lakh rupees;
 - (ii) in any other case, be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than five years but which may extend to imprisonment for life and shall also be liable to fine which shall not be less than five lakh rupees.

(2) Whoever conspires or attempts to commit or advocates, abets or knowingly facilitates the commission of an organised crime or any act preparatory to organised crime shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than five years but which may extend to imprisonment for life and shall also be liable to fine which shall not be less than five lakh rupees.

(3) Whoever harbours or conceals or attempts to harbour or conceal any member of any organised crime syndicate shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than five years but which may extend to imprisonment for life and shall also be liable to fine which shall not be less than five lakh rupees.

(4) Any person who is a member of an organised crime syndicate shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than five years but which may extend to imprisonment for life and shall also be liable to fine which shall not be less than five lakh rupees.

(5) Whoever holds any property derived or obtained from commission of an organised crime or which has been acquired through the organised crime syndicate funds, shall be punishable with a term which shall not be less than three years but which may extend to imprisonment for life and shall also be liable to fine which shall not be less than two lakh rupees.

Punishment for possessing unaccountable wealth.

4. If any person on behalf of a member of an organised crime syndicate is, or, at any time has been, in possession of movable or immovable property which he cannot satisfactorily account for, he shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than three years but which may extend to ten years and shall also be liable to fine which shall not be less than one lakh rupees. Such property shall also be liable for forfeiture and attachment, as provided under section 22.

Special Court.

5. (1) The State Government in consultation with the Punjab and Haryana High Court may, by notification in the Official Gazette, constitute one or more Special Courts for such area or areas, or for such case or group of cases or class, as may be specified in the notification.

(2) Where any question arises as to the jurisdiction of any Special Court, it shall be referred to the State Government, whose decision shall be final.

(3) The Special Court shall be presided over by a Judge to be appointed by the State Government, with the concurrence of the Chief Justice of the Punjab and Haryana High Court. The State Government may also appoint, with the concurrence of the Chief Justice of the Punjab and Haryana High Court, Additional Judges to exercise the jurisdiction in the Special Court.

(4) A person shall not be qualified for appointment as a Judge or an Additional Judge of a Special Court, unless he immediately before such an appointment is a Sessions Judge or an Additional Sessions Judge.

(5) Where any Additional Judge is or Additional Judges are appointed in a Special Court, the Judge of the Special Court may, from time to time, by general or special order in writing, provide for the distribution of the business of the Special Court among himself and the Additional Judge or Additional Judges and also for the disposal of urgent business in the event of his absence or in the absence of any Additional Judge.

6. Notwithstanding anything contained in the Code, every offence punishable under this Act shall be triable only by the Special Court within whose local jurisdiction it was committed or by the Special Court constituted for trying such offence under sub-section (1) of section 5, as the case may be.

Jurisdiction of Special Court.

7. (1) While trying any offence punishable under this Act, the Special Court may also try any other offence with which the accused may, under the Code be charged at the same trial, if the offence is connected with such other offence.

Power of Special Court with respect to other offences.

(2) If in the course of any trial of offence under this Act, it is found that the accused person has committed any other offence under this Act or under any other law, the Special Court may convict such person of such other offence and may pass any sentence for the punishment thereof authorised by this Act or such other law, as the case may be.

8. (1) For every Special Court, the State Government shall appoint a person to be the Public Prosecutor and may appoint one or more persons to be the Additional Public Prosecutor:

Public Prosecutor.

Provided that the State Government may also appoint for any case or group of cases or class, a Special Public Prosecutor.

(2) A person shall not be qualified to be appointed as a Public Prosecutor, an Additional Public Prosecutor or a Special Public Prosecutor unless he has been in practice as an Advocate for not less than ten years.

(3) Every person appointed as a Public Prosecutor or Additional Public Prosecutor or Special Public Prosecutor under this section shall be deemed to be a Public Prosecutor within the meaning of clause (u) of section 2 of the Code and the provisions of the Code shall have effect accordingly.

9. (1) The Special Court may take cognizance of any offence without the accused being committed to it for trial upon receiving a complaint of facts which constitute such offence or upon a police report of such facts.

Procedure and powers of Special Court.

(2) Where an offence triable by a Special Court is punishable with imprisonment for a term not exceeding three years or with fine or with both, the Special Court may, notwithstanding anything contained in sub-section (1) of section 260 or section 262 of the Code, try the offence in a summary way in accordance with the procedure prescribed in the Code and the provisions of sections 263 to 265 of the Code shall, as far as may be, apply to such trial:

Provided that where in the course of a summary trial under this sub-section, it appears to the Special Court that the nature of the case is such that it is undesirable to try in a summary way, the Special Court shall recall any witnesses who may have been examined and proceed to re-hear the case in the manner provided by the provisions of the Code for the trial of such offence and the said provisions shall apply to and in relation, to a Special Court as they apply to and in relation, to a Magistrate:

Provided further that in case of any conviction in a summary trial under this section, it shall be lawful for the Special Court to pass a sentence of imprisonment for a term not exceeding three years.

(3) The Special Court may, with a view to obtain the evidence of any person, supposed to have been directly or indirectly concerned in or privy to an offence, tender a pardon to such person on condition of his making a full and true disclosure of the whole circumstances within his knowledge relating to the offence and of every other person concerned, whether as principal or abettor, in the commission thereof, and any pardon so tendered shall, for the purposes of section 308 of the Code, be deemed to have been tendered under section 307 thereof.

(4) Subject to other provisions of this Act, the Special Court shall, for the purpose of trial of any offence, have all the powers of a Court of Session and shall try such offence as if it were a Court of Session so far as may be in accordance with the procedure prescribed in the Code for the trial before a Court of Session.

Trial by Special Court to have precedence.

10. The trial of any offence under this Act by a Special Court shall have precedence over the trial of any other case against the accused in any other Court (not being a Special Court) and shall be concluded in preference of the trial of such other case and accordingly the trial of such other case shall remain in abeyance.

Power to transfer case to regular Court.

11. Where, after taking cognizance of an offence, the Special Court is of the opinion that the offence is not triable by it, it shall, notwithstanding that it has no jurisdiction to try such offence, transfer the case for trial of such offence to any court having jurisdiction under the Code and the court to which the case is transferred may proceed with the trial of the offence as if it had taken cognizance of the offence.

Appeal.

12. (1) Notwithstanding anything contained in the Code, an appeal shall lie from any judgment, sentence or order, not being an interlocutory order of the Special Court to the Punjab and Haryana High Court.

(2) Every appeal under this section shall be preferred within thirty days from the date of the judgment, sentence or order.

Applicability of Indian Telegraph Act, 1885 and Information Technology Act, 2000.

13. For the purpose of interception of wire, electronic or oral communication, the provisions of the Indian Telegraph Act, 1885 (Central Act 13 of 1885), the Information Technology Act, 2000 (Central Act 21 of 2000) as amended from time to time to be read along with rules made thereunder shall be applicable.

Special rules of evidence.

14. (1) Notwithstanding anything to the contrary contained in the Code or the Indian Evidence Act, 1872 (Central Act 1 of 1872), for the purposes of trial and punishment for offences under this Act or connected offences, the Special Court may take into consideration as having probative value, the fact that the accused was,-

- (a) on any previous occasion bound under section 107 or section 110 of the Code;
- (b) detained under any law relating to preventive detention; or
- (c) on any previous occasion was prosecuted in the Special Court under this Act.

(2) Where it is proved that any person involved in an organised crime or any person on his behalf is or has at any time been in possession of movable or immovable property which he cannot satisfactorily account for, the Special Court shall, unless contrary is proved, presume that such property or pecuniary resources have been acquired or derived by his illegal activities.

(3) Where it is proved that the accused has kidnapped or abducted any person, the Special Court shall presume that it was for ransom.

Admissibility of evidence collected through interception of wire, electronic or oral communication.

15. Notwithstanding anything to the contrary contained in the Indian Evidence Act, 1872 (Central Act 1 of 1872), for the purposes of trial and punishment for offences under this Act or connected offences, evidence collected through the interception of wire, electronic or oral communication under the provision of the Indian Telegraph Act, 1885 (Central Act 13 of 1885) or the Information Technology Act, 2000 (Central Act 21 of 2000) or any other law from the time being in force, shall be admissible as evidence against the accused in the court during the trial of a case:

Provided that the contents of any wire, electronic or oral communication intercepted or evidence derived therefrom shall not be received in evidence or otherwise disclosed in any trial, hearing or other proceeding in any court unless each accused has been furnished with a copy of the order of the competent authority under the aforesaid law, under which the interception was directed, not less than ten days before trial, hearing or proceeding:

Provided further that the period of ten days may be waived by the Judge trying the matter, if he comes to the conclusion that it was not possible to furnish the accused with such order ten days before the trial, hearing or proceeding and that the accused shall not be prejudiced by the delay in receiving such order.

16. (1) Notwithstanding anything in the Code or in the Indian Evidence Act, 1872 (Central Act 1 of 1872) but subject to the provisions of this section, a confession made by a person before a police officer not below the rank of the Superintendent of Police and recorded by such police officer in writing or on any devices like cassettes, tapes or sound tracks from which sounds or images can be reproduced, shall be admissible in the trial of such person, co-accused, abettor or conspirator subject to appreciation and objective satisfaction of the Special Court:

Certain confessions made to police officer to be taken into consideration.

Provided that the co-accused, abettor or conspirator are charged and tried in the same case together with the accused:

Provided further that the confession shall be recorded in a free atmosphere in the same language in which the person is examined and as narrated by him and the process of recording of confession shall also be mandatorily video graphed.

(2) The police officer shall, before recording any confession under sub-section (1), explain to the person making it that he is not bound to make a confession and that, if he does so, it may be used as evidence against him and such police officer shall not record any such confession unless upon questioning the person making it, he is satisfied that it is being made voluntarily. The concerned police officer shall, after recording such voluntary confession, certify in writing below the confession about his personal satisfaction of the voluntary character of such confession, putting the date and time of the same.

(3) Every confession recorded under sub-section (1) shall be sent forthwith to the Chief Metropolitan Magistrate or the Chief Judicial Magistrate having jurisdiction over the area in which such confession has been recorded and such Magistrate shall forward the recorded confession so received to the Special Court which may take cognizance of the offence.

(4) The person from whom a confession has been recorded under sub-section (1) shall also be produced before the Chief Metropolitan Magistrate or the Chief Judicial Magistrate to whom the confession is required to be sent under sub-section (3) along with the original statement of confession, written or recorded on mechanical device without unreasonable delay.

(5) The Chief Metropolitan Magistrate or the Chief Judicial Magistrate shall scrupulously record the statement, if any, made by the accused so produced and get his signature and in case of any complaint of torture, the person shall be directed to be produced for medical examination before a Medical Officer not below the rank of an Assistant Civil Surgeon.

17. (1) Notwithstanding anything contained in the Code, the proceedings under this Act may be held in camera, if the Special Court so desires.

Protection of witnesses.

(2) The Special Court may, on an application made by a witness in any proceeding before it or by the Public Prosecutor in relation to such witness or on its own motion, take such measures, as it deems fit for keeping the identity and address of any witness secret.

(3) In particular and without prejudice to the generality of the provisions of sub-section (2), the measures which a Special Court may take under that sub-section may include,-

- (a) holding of the proceedings at a place to be decided by the Special Court;
- (b) avoiding of the mention of the names and addresses of the witnesses in its orders or judgments or in any records of the case accessible to public;
- (c) issuing of any directions for securing that the identity and addresses of the witnesses are not disclosed;
- (d) that it is in the public interest to order that all or any of the proceedings pending before such Court shall not be published in any manner.

(4) Any person who contravenes any direction issued under sub-section (3), shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year and with fine which may extend to one thousand rupees.

Attachment of property.

18. (1) If the District Magistrate has reason to believe that any property, whether moveable or immovable, in possession of any person has been acquired, as a result of the commission of an offence triable under this Act, he may order attachment of such property whether or not cognizance of such offence has been taken by any court.

(2) Notwithstanding the provisions of the Code, the District Magistrate may appoint an administrator of any property attached under sub-section (1) and the administrator shall have all the powers to administer such property in the best interest thereof.

(3) The District Magistrate may provide police help to the administrator for proper and effective administration of such property.

Release of property.

19. (1) Where any property is attached under section 18, the claimant of property may within three months from the date of knowledge of such attachment make a representation to the District Magistrate showing the circumstances in and the sources by which such property was acquired by him.

(2) If the District Magistrate is satisfied about the genuineness of the claim made under sub-section (1), he shall forthwith release the property from attachment and thereupon such property shall be released to the claimant.

Inquiry into character of acquisition of property by Court.

20. (1) Where no representation is made within the period specified in sub-section (1) of section 19 or the District Magistrate does not release the property under sub-section (2) of section 19, he shall refer the matter with his report to the Court having jurisdiction to try an offence under this Act.

(2) Where the District Magistrate has refused to attach any property under sub-section (1) of section 18 or has ordered for release of any property under sub-section (2) of section 19, the State Government or any person aggrieved by such refusal or release may make an application to the Court referred to in sub-section (1) for inquiry as to whether the property was acquired by or as a result of the commission of an offence triable under this Act. Such Court may, if it considers necessary or expedient in the interest of justice so to do, order attachment of such property.

(3) (a) On receipt of the reference under sub-section (1) or an application under sub-section (2), the Court shall fix a date for inquiry and give notice thereof to the person making the application under sub-section (2) or to the person making the representation under section 19, as the case may be and to the State Government and also to any other person whose interest appears to be involved in the case.

(b) On the date so fixed or any subsequent date to which the inquiry may be adjourned, the Court shall hear the parties, receive evidence produced by them, take such further evidence as it considers necessary, decide whether the property was acquired by a gangster as a result of the commission of an offence triable under this Act and shall pass such order under section 18 as may be just and necessary in the circumstances of the case.

(4) For the purpose of inquiry under sub-section (3), the Court shall have the power of a Civil Court while trying a suit under the Code of Civil Procedure, 1908 (Central Act 5 of 1908), in respect of the following matter, namely:-

- (a) summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath;
- (b) requiring the discovery and production of documents;
- (c) receiving evidence on affidavits;
- (d) requisitioning any public record or copy thereof from any Court or office;
- (e) issuing commission for examination of witness or documents;
- (f) dismissing a reference for default or deciding it ex parte;
- (g) setting aside an order of dismissal for default or ex parte decision.

(5) In any proceedings under this section, the burden of proving that the property in question or any part thereof was not acquired by a gangster as a result of the commission of any offence triable under this Act, shall be on the person claiming the property, anything to the contrary contained in the Indian Evidence Act, 1872 (Central Act 1 of 1872) notwithstanding.

21. If upon such inquiry the Court finds that the property was not acquired, as a result of the commission of any offence triable under this Act, it shall order for release of the property of the person from whose possession it was attached. In any other case, the Court may make such order, as it thinks fit for the disposal of the property by attachment, confiscation or delivery to any person entitled to the possession thereof or otherwise.

Order after inquiry.

22. (1) Where a person has been convicted of any offence punishable under this Act, the Special Court may, in addition to awarding any punishment, by order in writing, declare that any property, movable or immovable or both, belonging to the accused and specified in the order, shall stand forfeited to the State Government, free from all encumbrances.

Forfeiture and attachment of property.

(2) Where any person is accused of any offence under this Act, it shall be open to the Special Court trying him, to pass an order that all or any properties, movable or immovable or both, belonging to him, shall, during the period of such trial be attached and where such trial ends in conviction, the properties so attached shall stand forfeited to the State Government, free from all encumbrances.

(3) (a) If, upon a report in writing made by an investigating police officer, any Special Court has reason to believe that any person, who has committed an offence punishable under this Act has absconded or is concealing himself so that he may not be apprehended, such Court may, notwithstanding anything contained in section 82 of the Code, publish a written proclamation requiring him to appear at a specified place and at a specified time not less than fifteen days but not more than thirty days from the publication of such proclamation:

Provided that if the investigating police officer concerned fails to arrest the accused who has absconded or is concealing himself within a period of three months from the date of registering the offence against such person, the officer shall, on the expiry of the said period, make a report to the Special Court for issuing the proclamation.

(b) The Special Court issuing a proclamation under clause (a) may, at any time, order the attachment of any property, movable or immovable or both, belonging to the proclaimed person, and thereupon the provisions of sections 83 to 85 of the Code shall apply to such attachment, as if such attachment was made under the Code.

(c) If, within six months from the date of attachment, any person, whose property is or has been, at the disposal of the State Government under sub-section (2) of section 85 of the Code, appears voluntarily or is apprehended and brought before the Special Court by whose order, the property was attached, or the Court to which such Court is subordinate and proves to the satisfaction of such Court that he did not abscond or conceal himself for the purpose of avoiding apprehension and that he had not received such notice of the proclamation as to enable him to attend within the specified time therein, such property or if the same has been sold, the net proceeds of the same and the residue of the property shall, after satisfying therefrom all costs incurred in consequence of the attachment, be delivered to him.

23. (1) Notwithstanding anything contained in the Code or in any other law, every offence punishable under this Act shall be deemed to be a cognizable offence within the meaning of clause (c) of section 2 of the Code and “cognizable case” as defined in that clause shall be construed accordingly.

Modified application of certain provisions of Code.

(2) Section 167 of the Code shall apply in relation to a case involving an offence punishable under this Act subject to the modifications that in sub-section (2),-

- (a) the references to “fifteen days” and “sixty days”, wherever occurring, shall be construed as references to “thirty days” and “ninety days” respectively;
- (b) after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided further that if it is not possible to complete the investigation within the said period of ninety days, the Special Court shall extend the said period upto one hundred and eighty days, on the report of the Public Prosecutor indicating the progress of the investigation and the specific reasons for the detention of the accused beyond the said period of ninety days.”.

(3) Nothing in section 438 of the Code shall apply in relation to any case involving the arrest of any person on an accusation of having committed an offence punishable under this Act.

(4) Notwithstanding anything contained in the Code, no person accused of an offence punishable under this Act shall, if in custody, be released on bail or on his own bond, unless-

- (a) the Public Prosecutor has been given an opportunity to oppose the application of such release; and
- (b) where the Public Prosecutor opposes the application, the Special Court is satisfied that there are reasonable grounds for believing that he is not guilty of such offence and that he is not likely to commit any offence while on bail.

(5) Notwithstanding anything contained in the Code, the accused shall not be granted bail if it is noticed by the Special Court that he was on bail in an offence under this Act, on the date of the offence in question.

(6) The limitations on granting of bail specified in sub-section (4) are in addition to the limitations under the Code or any other law for the time being in force on the granting of bail.

(7) The police officer seeking the custody of any person for pre-indictment or pre-trial interrogation from the judicial custody shall file a written statement explaining the reason for seeking such custody and also for the delay, if any, in seeking the police custody.

Presumption as to offences under section 3.

24. (1) In a prosecution for an offence of organised crime punishable under section 3, if it is proved-

- (a) that unlawful arms and other material including documents or papers were recovered from the possession of the accused and there is reason to believe that such unlawful arms and other material including documents or papers were used in the commission of such offence; or
- (b) that by the evidence of an expert, the finger prints of the accused were found at the site of the offence or on anything including unlawful arms and other material including documents or papers and vehicle used in connection with the commission of such offence,

the Special Court shall presume, unless the contrary is proved that the accused had committed such offence.

(2) In a prosecution for an offence of organised crime punishable under sub-section (2) of section 3, if it is proved that the accused rendered any financial assistance to a person accused of or reasonably suspected of an offence of organised crime, the Special Court shall presume, unless the contrary is proved, that such person has committed the offence under the said sub-section (2).

Cognizance and investigation of offence.

25. (1) Notwithstanding anything contained in the Code,-

- (a) no information about the commission of an offence of organised crime under this Act, shall be recorded by a police officer without the prior approval of the police officer not below the rank of the Deputy Inspector General of Police;
- (b) no investigation of an offence under the provisions of this Act shall be carried out by a police officer below the rank of the Deputy Superintendent of Police.

(2) No Special Court shall take cognizance of any offence under this Act without the previous sanction of the State Government.

Punishment for public servants.

26. Whoever being a public servant renders any help or support in any manner in the commission of organised crime as defined in clause (d) of section 2, whether before or after the commission of any offence by a member of an organised crime syndicate or abstains from taking lawful measures under this Act or intentionally avoids to carry out the directions of any Court or of the superior police officers in this respect, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years and also with fine.

Act not in derogation of any other law.

27. The provisions of this Act shall be in addition to and not in derogation of provisions of any other law for the time being in force except specifically provided under this Act, in case of any inconsistency in provisions other than specifically provided under this Act, the provisions of Central Acts shall have overriding effect to the extent of inconsistency.

- 28.** No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the State Government or any officer or authority of the State Government for anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of this Act. Protection of action taken in good faith.
- 29.** The Punjab and Haryana High Court may, by notification in the Official Gazette, make such rules, as it may deem necessary for carrying out the provisions of this Act relating to the Special Court. Power of High Court to make rules.
- 30.** (1) Without prejudice to the powers of the Punjab and Haryana High Court to make rules under section 29, the State Government may, by notification in the Official Gazette, make rules for carrying out the purposes of this Act. Power of State Government to make rules.
- (2) Every rule made under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before the State Legislature.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

A study of crime trends in Haryana during the last decade has revealed that the State has been witnessing a shift in the patterns of crime. While earlier heinous crimes such as murder, dacoity, robbery, kidnapping and extortion were committed by individuals acting alone or in concert, the last decade has witnessed the rise of gangsterism and organized crime in Haryana. Gangs of new age criminals have started pursuing a life in crime as a well organized criminal enterprise.

Instances have come to notice where organized criminal gangs operating in certain districts of Haryana have established a well organized network of criminals including shooters, informers, spotters and arms suppliers. Properly structured with well defined membership and hierarchy, these gangs are primarily focusing on contract killings, threat based extortion from businessmen, smuggling of drugs, protection rackets etc. which have the potential to generate huge profits. These gangs utilize the proceeds of crime for amassing property, looking after their associates who are in jail, hiring expensive criminal lawyers and killing the witnesses who dare to testify against them.

Such criminals also exploit the reformative and rehabilitative aspects of criminal law and procedure and upon being released from custody for committing further crimes. Over a period these gangs acquire a scary profile and image in the public which is larger than life. Such an image helps these gangs in extorting protection money from businessmen and industrialists, thus further enriching their coffers.

There is a rising consensus among the policy makers and internal security experts that such criminal activities require stringent law for effective tackling. Special legislations have already been enacted in some states. For example the State of Maharashtra had enacted Maharashtra Control of Organized Crime Act in 1999 which was subsequently adopted by the National capital territory of Delhi also. The State of Uttar Pradesh, Gujarat and Karnataka have also enacted their respective Acts.

In view of the emerging situation of organized crime in the State of Haryana, it has become imperative to introduce a similar legislation in the State which ensures effective legal action against the gangsters, leaders and members of organized criminal gangs. Such a strong legislation shall also suitably empower the police in a lawful manner to take strong and deterrent but lawful action against the criminals. Special provisions also need to be enacted for forfeiture of the property acquired from proceeds of crimes and to create a provision for special courts and special prosecutor for handling the trials of offences under this Act.

ANIL VIJ,
Home Minister, Haryana.

Chandigarh:
The 21st March, 2023.

R. K. NANDAL,
Secretary.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause-29 of the proposed Bill powers have been delegated to the High Court to make such rules, by notification in the Official Gazette, as it may deem necessary for carrying out the provisions of this Act relating to the Special Courts.

Sub-Clause-(1) of Clause 30 of the proposed Bill powers have been delegated to the State Government to make rules, by notification in the Official Gazette, carrying out the purposes of this Act.

2023 का विधेयक संख्या 7 एच० एल० ए०

हरियाणा संगठित अपराध नियन्त्रण विधेयक, 2023
संगठित अपराध सिंडीकेट या गैंग की आपराधिक गतिविधि के निवारण
और नियन्त्रण हेतु तथा उनसे निपटने के लिए और
उससे सम्बन्धित या उनके आनुषंगिक
मामलों के लिए विशेष उपबन्ध
करने हेतु विधेयक

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

संक्षिप्त नाम,
विस्तार तथा
प्रारम्भ ।

1. (1) यह अधिनियम हरियाणा संगठित अपराध नियन्त्रण अधिनियम, 2023, कहा जा सकता है।
 (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण हरियाणा राज्य में है।
 (3) यह ऐसी तिथि से लागू होगा, जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

परिभाषाएं

2. (1) इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -
- (क) "दुष्प्रेरण" इसकी व्याकरणिक विविधताओं तथा भाव अभिव्यक्तियों सहित, इसमें निम्नलिखित शामिल हैं,-
- (i) वास्तविक ज्ञान के साथ या विश्वास करने का कारण रखने वाले किसी व्यक्ति के साथ कोई संसूचना या संपर्क कि ऐसा व्यक्ति किसी भी रीति में संगठित अपराध सिंडीकेट की सहायता करने में लगा है;
- (ii) संगठित अपराध सिंडीकेट की सहायता करने के लिए उपयुक्त किसी सूचना को किसी विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना पहुंचाता है या प्रकाशन करता है और संगठित अपराध सिंडीकेट से प्राप्त किए गए किसी दस्तावेज या सामग्री को पहुंचाता है या उसका प्रकाशन या वितरण करता है; तथा
- (iii) संगठित अपराध सिंडीकेट की कोई मदद करना, चाहे वित्तीय या अन्यथा हो;
- (ख) "संहिता" से अभिप्राय है, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम 2) ;
- (ग) "निरन्तर विधिविरुद्ध गतिविधि" से अभिप्राय है, तत्समय लागू किसी विधि द्वारा प्रतिषिद्ध कोई गतिविधि, जो तीन वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दण्डनीय कोई संज्ञेय अपराध है, जो संगठित अपराध सिंडीकेट के सदस्य के रूप में या ऐसे सिंडीकेट की ओर से या तो अकेले या संयुक्त रूप की गई है, जिसके संबंध में एक से अधिक आरोप दृपत्र दस वर्ष की पूर्ववर्ती अवधि के भीतर सक्षम न्यायालय के सम्मुख दायर किए गए हैं और उस न्यायालय द्वारा ऐसे अपराध का संज्ञान लिया गया है;
- (घ) "संगठित अपराध" से अभिप्राय है, स्वयं या किसी व्यक्ति के लिए धन दृसंबंधी लाभ प्राप्त करने या अनुचित आर्थिक या अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से हिंसा, हिंसा की आशंका, जबरदस्ती, बलप्रयोग या अन्य विधिविरुद्ध साधनों का प्रयोग करते हुए या विद्रोह को बढ़ावा देने के लिए या तो किसी संगठित अपराध सिंडीकेट के सदस्य के रूप में या ऐसे सिंडीकेट की ओर से वैयक्तिक, अकेले या संयुक्त रूप से की गई कोई निरन्तर विधिविरुद्ध गतिविधि;
- (ङ) "संगठित अपराध सिंडीकेट या गैंग" से अभिप्राय है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का कोई समूह, जो संगठित अपराध की गतिविधियों में लिप्त सिंडीकेट या गैंग के रूप में या तो अकेले या संयुक्त रूप में कार्यरत है;
- (च) "राज्य सरकार" से अभिप्राय है, गृह विभाग में हरियाणा राज्य की सरकार;
- (छ) "विशेष न्यायालय" से अभिप्राय है, धारा 5 के अधीन गठित कोई विशेष न्यायालय ।

(2) इस अधिनियम में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित तथा संहिता में परिभाषित शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे, जो उन्हें क्रमशः संहिता में दिए गए हैं।

3. (1) जो कोई भी संगठित अपराध करता है, तो,

संगठित अपराध के लिए दण्ड।

- (i) यदि ऐसे अपराध के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु या आजीवन कारावास से दण्डनीय होगा और न्यूनतम दस लाख रुपए के जुर्माने के लिए भी दायी होगा;
- (ii) किसी अन्य मामले में, ऐसी अवधि के कारावास से दण्डनीय होगा, जो पांच वर्ष से कम नहीं होगा, किन्तु जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है और न्यूनतम पांच लाख रुपए के जुर्माने के लिए भी दायी होगा।

(2) जो कोई भी किसी संगठित अपराध को करने की साजिश करता या करने का प्रयास करता है या हिमायत करता है, दुष्प्रेरित करता है या जानबूझकर सुकर बनाता है या संगठित अपराध करने की तैयारी के लिए कोई कार्य करता है, तो ऐसी अवधि के कारावास से दण्डनीय होगा, जो पांच वर्ष से कम नहीं होगा, किन्तु जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है और न्यूनतम पांच लाख रुपए के जुर्माने के लिए भी दायी होगा।

(3) जो कोई भी किसी संगठित अपराध सिंडीकेट के किसी सदस्य को शरण देता है या छिपाता है या शरण देने या छिपाने का प्रयास करता है, तो ऐसी अवधि के कारावास से दण्डनीय होगा, जो पांच वर्ष से कम नहीं होगा, किन्तु जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है, और न्यूनतम पांच लाख रुपए के जुर्माने के लिए भी दायी होगा।

(4) कोई व्यक्ति, जो किसी संगठित अपराध सिंडीकेट का सदस्य है, तो ऐसी अवधि के कारावास से दण्डनीय होगा, जो पांच वर्ष से कम नहीं होगा, किन्तु जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है और न्यूनतम पांच लाख रुपए के जुर्माने के लिए भी दायी होगा।

(5) जो कोई भी, संगठित अपराध करने से व्युत्पन्न या प्राप्त कोई सम्पत्ति रखता है या जो संगठित अपराध सिंडीकेट की निधियों के माध्यम से अर्जित की गई है, तो ऐसी अवधि के कारावास से दण्डनीय होगा, जो तीन वर्ष से कम नहीं होगा किन्तु जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है और न्यूनतम दो लाख रुपए के जुर्माने के लिए भी दायी होगा।

4. यदि किसी संगठित अपराध सिंडीकेट के सदस्य की ओर से किसी व्यक्ति के पास चल या अचल सम्पत्ति का कब्जा है, या किसी समय कब्जे में रही है, जो उसका संतोषजनक रूप से हिसाब नहीं दे सकता, तो वह ऐसी अवधि के कारावास से दण्डनीय होगा, जो तीन वर्ष से कम नहीं होगा किन्तु दस वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और न्यूनतम एक लाख रुपए के जुर्माने के लिए भी दायी होगा। ऐसी सम्पत्ति, धारा 22 में उपबन्धित अनुसार कुर्क तथा समपहरण करने के लिए भी दायी होगी।

अकूत सम्पत्ति रखने के लिए दण्ड।

5. (1) पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों के लिए, या ऐसे मामले या मामलों के समूह या वर्ग, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं, के लिए एक या एक से अधिक विशेष न्यायालयों का गठन कर सकती है।

विशेष न्यायालय।

(2) जहां किसी विशेष न्यायालय की अधिकारिता के बारे में कोई प्रश्न उत्पन्न होता है, तो इसे राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिसका निर्णय अन्तिम होगा।

(3) मुख्य न्यायमूर्ति, पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय की सहमति से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले किसी न्यायाधीश द्वारा विशेष न्यायालय की अध्यक्षता की जाएगी। मुख्य न्यायमूर्ति, पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय की सहमति से राज्य सरकार, किसी विशेष न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए अपर न्यायाधीशों को भी नियुक्त कर सकती है।

(4) कोई भी व्यक्ति तब तक किसी विशेष न्यायालय के न्यायाधीश या अपर न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हक नहीं होगा जब तक वह ऐसी नियुक्ति से तुरन्त पूर्व सत्र न्यायाधीश या अपर सत्र न्यायाधीश न हो।

(5) जहां कोई अपर न्यायाधीश या अपर न्यायाधीशों को किसी विशेष न्यायालय में नियुक्त किया जाता है / किए जाते हैं, तो विशेष न्यायालय का न्यायाधीश, समय-समय पर, लिखित में सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, स्वयं और अपर न्यायाधीश या अपर न्यायाधीशों में विशेष न्यायालय के कार्य के वितरण हेतु व्यवस्था कर सकता है और अपनी अनुपस्थिति या किसी अपर न्यायाधीश की अनुपस्थिति के मामले में अति-आवश्यक कार्य के निपटान के लिए भी व्यवस्था कर सकता है।

6. संहिता में दी गई किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय प्रत्येक अपराध, केवल उस विशेष न्यायालय द्वारा, जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर इसे किया गया था अथवा धारा 5 की उप-धारा (1) के अधीन ऐसे अपराध के विचारण के लिए गठित विशेष न्यायालय, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा विचारणीय होगा।

विशेष न्यायालय की अधिकारिता।

अन्य अपराधों के संबंध में विशेष न्यायालय की शक्ति ।

7. (1) इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के विचारण के दौरान, विशेष न्यायालय किसी अन्य अपराध का भी विचारण कर सकता है, जिसके साथ अभियुक्त, संहिता के अधीन, समरूप विचारण के लिए आरोपित किया जा सकता है, यदि अपराध ऐसे अन्य अपराध से संबंधित है ।

(2) यदि इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के विचारण के दौरान, यह पाया जाता है कि अभियुक्त व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम के अधीन या किसी अन्य विधि के अधीन कोई अन्य अपराध किया गया है, तो विशेष न्यायालय, ऐसे अन्य अपराध के ऐसे व्यक्ति को दोषी ठहरा सकता है और इस अपराध के दण्ड हेतु इस अधिनियम या ऐसी अन्य विधि, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा प्राधिकृत दण्ड के लिए कोई दण्डादेश पारित कर सकता है ।

लोक अभियोजक ।

8. (1) प्रत्येक विशेष न्यायालय हेतु, राज्य सरकार किसी व्यक्ति को लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करेगी और अपर लोक अभियोजक के रूप में एक या एक से अधिक व्यक्तियों को भी नियुक्त कर सकती है:

परन्तु राज्य सरकार, किसी मामले या मामलों के समूह या वर्ग के लिए किसी विशेष लोक अभियोजक को भी नियुक्त कर सकती है ।

(2) कोई भी व्यक्ति तब तक लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक या विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए अर्हक नहीं होगा जब तक उसने कम से कम दस वर्ष के लिए अधिवक्ता के रूप में प्रैक्टिस नहीं की हो ।

(3) इस धारा के अधीन लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक या विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति, संहिता की धारा 2 के खण्ड (प) के अर्थ के भीतर लोक अभियोजक के रूप में समझा जाएगा और इस संहिता के उपबन्ध तदनुसार प्रभावी होंगे ।

विशेष न्यायालय की प्रक्रिया और शक्तियां ।

9. (1) विशेष न्यायालय, तथ्यों, जो ऐसा अपराध गठित करते हैं, की शिकायत की प्राप्ति पर या ऐसे तथ्यों की पुलिस रिपोर्ट पर, अपराध के लिए अभियुक्त के प्रतिबद्ध हुए बिना विचारण करने के लिए किसी अपराध का संज्ञान ले सकता है ।

(2) जहां किसी विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय अपराध तीन वर्ष की अनधिक अवधि के कारावास से या जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय है, तो विशेष न्यायालय, संहिता की धारा 260 की उप-धारा (1) या धारा 262 में दी गई किसी बात के होते हुए भी, संहिता में विहित प्रक्रिया के अनुसार संक्षिप्त शैली में अपराध पर विचारण कर सकता है और संहिता की धारा 263 से 265 के उपबन्ध, जहां तक हो सके, ऐसे विचारण पर लागू होंगे:

परन्तु जहां इस उप-धारा के अधीन संक्षिप्त विचारण के दौरान, विशेष न्यायालय को प्रतीत होता है कि मामले की प्रकृति ऐसी है कि यह संक्षिप्त शैली में विचारण के लिए अवांछनीय है, तो विशेष न्यायालय, किन्हीं साक्षियों को दोबारा बुला सकता है, जिनका परीक्षण किया जा सकता है और ऐसे अपराध के विचारण के लिए संहिता के उपबन्धों द्वारा उपबन्धित रीति में मामले की पुनः सुनवाई कर सकता है और उक्त उपबन्ध, किसी विशेष न्यायालय को और के संबंध में लागू होंगे जैसे वे किसी मैजिस्ट्रेट को तथा के संबंध में लागू है:

परन्तु यह और कि इस धारा के अधीन किसी संक्षिप्त विचारण में किसी दोषसिद्धि के मामले में, किसी विशेष न्यायालय के लिए तीन वर्ष की अनधिक अवधि के लिए कारावास का दण्डादेश पारित करना विधिपूर्ण होगा ।

(3) विशेष न्यायालय, किसी व्यक्ति का साक्ष्य प्राप्त करने के दृष्टिगत, जो अपराध के संबंध में प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से या गुप्त रूप से तथाकथित है, ऐसे व्यक्ति को अपराध और संबंधित प्रत्येक अन्य व्यक्ति, चाहे अपराध करने में प्रमुख या उकसाने वाला हो, के संबंध में अपने जानकारी की सम्पूर्ण परिस्थितियों का सम्पूर्ण और सत्य प्रकटीकरण करने की शर्त पर क्षमा कर सकता है और इस प्रकार दी गई क्षमा, संहिता की धारा 308 के प्रयोजनों हेतु, उसकी धारा 307 के अधीन दी गई समझी जाएगी ।

(4) इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधीन, किसी अपराध के विचारण के प्रयोजन हेतु, विशेष न्यायालयों को सत्र न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी और ऐसे अपराध का विचारण करेंगे, मानो ये सत्र न्यायालय थे, जहां तक हो सके, किसी सत्र न्यायालय के सम्मुख विचारण के लिए संहिता में विहित प्रक्रिया के अनुसार है ।

विशेष न्यायालय को विचारण की वरीयता होना ।

10. किसी विशेष न्यायालय को इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के विचारण में किसी अन्य न्यायालय (कोई विशेष न्यायालय नहीं होते हुए) में अभियुक्त के विरुद्ध किसी अन्य मामले के विचारण में वरीयता होगी और ऐसे अन्य मामले के विचारण की वरीयता में निष्कर्ष निकाला जाएगा और तदनुसार ऐसे अन्य मामलों का विचारण प्रास्थगित हो जाएगा ।

11. जहां, किसी अपराध का संज्ञान लेने के बाद, किसी विशेष न्यायालय की राय है कि अपराध इसके द्वारा विचारणीय नहीं है, तो यह ऐसा होने पर भी कि ऐसे अपराध के विचारण की उसकी अधिकारिता नहीं है, संहिता के अधीन अधिकारिता रखने वाले किसी न्यायालय को ऐसे अपराध के विचारण के लिए मामले का अंतरण करेगा और न्यायालय, जिसको मामले का अन्तरण किया गया है, अपराध के विचारण की कार्यवाही करेगा मानो इसने अपराध का संज्ञान लिया था।

नियमित न्यायालयों को मामलों का अन्तरण करने की शक्ति।

12. (1) संहिता में दी गई किसी बात के होते हुए भी, विशेष न्यायालय के किसी न्यायनिर्णय, दण्डादेश या आदेश, अंतर्वर्ती आदेश नहीं होते हुए, के विरुद्ध अपील पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय में होगी।

अपील।

(2) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील, न्यायनिर्णय, दण्डादेश या आदेश की तिथि से तीस दिन के भीतर की जाएगी।

13. तार, इलेक्ट्रॉनिक और मौखिक संसूचना के अवरोधन के प्रयोजन हेतु, समय-समय पर यथा संशोधित, भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का केन्द्रीय अधिनियम 13), सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का केन्द्रीय अधिनियम 21) और इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्ध लागू होंगे।

भारतीय तार अधिनियम, 1885 तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 का लागूकरण।

14. (1) संहिता में या भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का केन्द्रीय अधिनियम 1) में दी गई किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन अपराधों या संबंधित अपराधों के विचारण और दण्ड के प्रयोजनों हेतु, विशेष न्यायालय, प्रमाणक मूल्य के रूप में इस तथ्य पर विचार कर सकता है कि अभियुक्त,—

साक्ष्य के विशेष नियम।

(क) संहिता की धारा 107 या धारा 110 के अधीन किसी पूर्व अवसर पर आबद्ध था;

(ख) निवारक निरोध से संबंधित किसी विधि के अधीन निरुद्ध था; या

(ग) इस अधिनियम के अधीन विशेष न्यायालय में किसी पूर्व अवसर पर अभियोजित किया गया था।

(2) जहां यह सिद्ध हो जाता है कि किसी संगठित अपराध में लिप्त किसी व्यक्ति या उसकी ओर से किसी व्यक्ति के कब्जे में किसी समय चल या अचल सम्पत्ति है या रही है, जिसका वह संतोषजनक रूप से हिसाब नहीं दे सकता, तो विशेष न्यायालय, जब तक प्रतिकूल सिद्ध नहीं हो जाता है, उपधारित करेगा कि ऐसी सम्पत्ति या धन-संबंधी संसाधन उसकी अवैध गतिविधियों द्वारा अर्जित की गई है या व्युत्पन्न की गई है।

(3) जहां यह सिद्ध हो जाता है कि अभियुक्त ने किसी व्यक्ति का व्यपहरण किया है या अपहरण किया है, तो विशेष न्यायालय उपधारित करेगा कि यह फिरोती के लिए था।

15. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का केन्द्रीय अधिनियम 1) में दी गई किसी बात के प्रतिकूल होते हुए, इस अधिनियम के अधीन अपराधों या संबंधित अपराधों के विचारण और दण्ड के प्रयोजनों हेतु, भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का केन्द्रीय अधिनियम 13) या सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का केन्द्रीय अधिनियम 21) या तत्समय लागू किसी अन्य विधि के उपबन्धों के अधीन तार, इलेक्ट्रॉनिक या मौखिक संसूचना के अवरोधन के माध्यम से संगृहित साक्ष्य, किसी मामले के विचारण के दौरान न्यायालय में अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य होगा:

तार, इलेक्ट्रॉनिक या मौखिक संसूचना के अवरोधन के माध्यम से संगृहित साक्ष्य की स्वीकार्यता।

परन्तु वहां से प्राप्त अवरोधित किसी भी तार, इलेक्ट्रॉनिक या मौखिक संसूचना की अर्न्तवस्तु या साक्ष्य को किसी भी न्यायालय में तब तक किसी भी विचारण, सुनवाई या अन्य कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में प्राप्त नहीं किया जाएगा या अन्यथा प्रकट नहीं किया जाएगा, जब तक प्रत्येक अभियुक्त को विचारण, सुनवाई या कार्यवाही से कम से कम दस दिन पूर्व, पूर्वोक्त विधि के अधीन सक्षम प्राधिकारी के आदेश की प्रति नहीं पहुंचा दी जाती, जिसके अधीन अवरोधन का निर्देश दिया गया था:

परन्तु यह और कि मामले का विचारण करने वाला न्यायाधीश दस दिन की अवधि अधित्यक्त कर सकता है, यदि वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियुक्त को विचारण, सुनवाई या कार्यवाही से दस दिन पूर्व ऐसा आदेश पहुंचाना सम्भव नहीं था और कि अभियुक्त पर ऐसा आदेश विलम्ब से प्राप्त करने से प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

पुलिस अधिकारी
के सम्मुख
कतिपय
संस्वीकृतियों को
विचार में लेना।

16. (1) संहिता में या भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का केन्द्रीय अधिनियम 1) में दी गई किसी बात के होते हुए भी, किन्तु इस धारा के उपबन्धों के अध्यधीन, किसी पुलिस अधिकारी, जो पुलिस अधीक्षक की पदवी से नीचे का न हो, के सम्मुख किसी व्यक्ति द्वारा की गई और ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा या तो लिखित में या किन्हीं यन्त्रों जैसे कैसेट्स, टेपस, या साउंड ट्रैक, जिससे साउंड या तस्वीरें पुनः उदधृत की जा सकती हैं, द्वारा रिकार्डिड की गई संस्वीकृति, विशेष न्यायालय की समीक्षा और निष्पक्ष संतुष्टि के अध्यधीन ऐसे व्यक्ति, सह-अभियुक्त, दुष्प्रेरक या षड्यन्त्रकर्ता के विचारण के लिए स्वीकार्य होगी:

परन्तु सह-अभियुक्त, दुष्प्रेरक या षड्यन्त्रकर्ता, अभियुक्त के साथ उसी मामले में आरोपित और विचारित किए गए हों:

परन्तु यह और कि संस्वीकृति, किसी मुक्त वातावरण में उसी भाषा में, जिसमें व्यक्ति का परीक्षण किया गया हो तथा जैसा उसके द्वारा बताया गया हो, अभिलिखित की जाएगी तथा संस्वीकृति की रिकार्डिंग की प्रक्रिया की अनिवार्य रूप से वीडियोग्राफी भी की जाएगी।

(2) पुलिस अधिकारी, उपधारा (1) के अधीन किसी संस्वीकृति को अभिलिखित करने से पूर्व, ऐसी संस्वीकृति करने वाले व्यक्ति को स्पष्ट करेगा कि वह कोई संस्वीकृति करने के लिए बाध्य नहीं है और यदि वह ऐसा करता है, तो इसे उसके विरुद्ध साक्ष्य के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है तथा ऐसा पुलिस अधिकारी कोई ऐसी संस्वीकृति तब तक अभिलिखित नहीं करेगा जब तक उसे संस्वीकृति करने वाले व्यक्ति के प्रश्न करने पर उसकी संतुष्टि नहीं हो जाती है कि यह स्वैच्छिक रूप से की जा रही है। सम्बद्ध पुलिस अधिकारी, ऐसी स्वैच्छिक संस्वीकृति अभिलिखित करने के बाद, संस्वीकृति के नीचे लिखित में ऐसी संस्वीकृति के स्वैच्छिक स्वरूप की अपनी वैयक्तिक संतुष्टि बारे उस पर तिथि और समय अंकित करते हुए प्रमाणित करेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन अभिलिखित प्रत्येक संस्वीकृति उस क्षेत्र, जिसमें ऐसी संस्वीकृति अभिलिखित की गई है, की अधिकारिता रखने वाले मुख्य मैट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को तुरन्त भेजी जाएगी और ऐसा मजिस्ट्रेट, विशेष न्यायालय, जो अपराध का संज्ञान ले सकता है, को इस प्रकार अभिलिखित संस्वीकृति भेजेगा।

(4) व्यक्ति, जिसकी कोई संस्वीकृति उपधारा (1) के अधीन अभिलिखित की गई है, को उस मुख्य मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के सम्मुख भी प्रस्तुत किया जाएगा, जिसे अनुचित विलम्ब के बिना लिखित या यान्त्रिक यन्त्र पर रिकार्डिड संस्वीकृति के मूल कथन सहित उपधारा (3) के अधीन संस्वीकृति भेजी जानी अपेक्षित है।

(5) मुख्य मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट इस प्रकार पेश किए गए अभियुक्त द्वारा किए गए कथन, यदि कोई हो, को ईमानदारी से अभिलिखित करेगा और उसके हस्ताक्षर लेगा तथा उत्पीडन की किसी शिकायत की दशा में, व्यक्ति को, चिकित्सा अधिकारी, जो सहायक सिविल सर्जन की पदवी से नीचे का न हो, के सम्मुख चिकित्सा जांच के लिए प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करेगा।

साक्षियों का
संरक्षण।

17. (1) संहिता में दी गई किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियां कैमरे के सामने की जाएगी, यदि विशेष न्यायालय ऐसा चाहे।

(2) विशेष न्यायालय, इसके सम्मुख किसी कार्यवाही में किसी साक्षी द्वारा या ऐसे साक्षी के संबंध में लोक अभियोजक द्वारा किए गए आवेदन पर या स्वप्रेरणा से, ऐसे उपाय कर सकता है, जो यह किसी साक्षी की पहचान और पते को गोपनीय रखने के लिए उचित समझे।

(3) विशिष्टतया और उपधारा (2) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उपायों, जो विशेष न्यायालय उस उपधारा के अधीन कर सकता है, में निम्नलिखित को भी शामिल कर सकता है :-

- (क) विशेष न्यायालय द्वारा निर्णीत किए जाने वाले स्थान पर कार्यवाहियां करना;
- (ख) इसके आदेशों या न्यायनिर्णयों में या जन-साधारण की पहुंच में किसी मामले के किन्हीं अभिलेखों में साक्षियों के नामों और पतों को वर्णित करने से बचना;
- (ग) यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश को जारी करना साक्षियों की पहचान और पतों का प्रकटीकरण न हो;
- (घ) यह लोकहित में है कि ऐसे न्यायालय के सम्मुख लम्बित ऐसे सभी या किन्हीं कार्यवाहियों को किसी रीति में प्रकाशित नहीं करवाएगा।

(4) कोई व्यक्ति, जो उपधारा (3) के अधीन जारी किए गए किसी निर्देश की उल्लंघना करता है, तो वह ऐसी अवधि के कारावास, जो एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माने, जो एक हजार रुपए तक बढ़ाया जा सकता है, से दण्डनीय होगा।

18. (1) यदि जिला मजिस्ट्रेट विश्वास का कारण रखता है कि किसी व्यक्ति के कब्जे में कोई सम्पत्ति, चाहे चल या अचल, इस अधिनियम के अधीन विचारणीय किसी अपराध के करने के फलस्वरूप उपाजित की गई है, वह ऐसी सम्पत्ति के कुर्की के आदेश कर सकता है, चाहे किसी न्यायालय द्वारा ऐसे अपराध को संज्ञेय ठहराया गया है या नहीं।

सम्पत्ति की कुर्की

(2) संहिता के उपबन्धों के होते हुए भी, जिला मजिस्ट्रेट उप-धारा (1) के अधीन कुर्की की गई किसी सम्पत्ति के लिए प्रशासक नियुक्त कर सकता है तथा प्रशासक को इसके सर्वोत्तम हित में ऐसी सम्पत्ति का प्रबन्धन करने की सभी शक्तियां होंगी।

(3) जिला मजिस्ट्रेट, ऐसी सम्पत्ति के समुचित तथा प्रभावी प्रबन्धन के लिए प्रशासक को पुलिस सहायता प्रदान कर सकता है।

19. (1) जहां धारा 18 के अधीन किसी सम्पत्ति की कुर्की की जाती है, तो सम्पत्ति का दावेदार, ऐसी कुर्की की जानकारी की तिथि से तीन मास के भीतर, परिस्थितियों, जिनमें तथा साधन, जिससे उसके द्वारा ऐसी सम्पत्ति का उपार्जन किया गया है, को दर्शाते हुए जिला मजिस्ट्रेट को प्रतिवेदन कर सकता है।

सम्पत्ति की निर्मुक्ति।

(2) यदि जिला मजिस्ट्रेट, उपधारा (1) के अधीन किए गए दावे की प्रमाणिकता के बारे में संतुष्ट हो जाता है, तो वह तुरन्त संपत्ति को कुर्की से निर्मुक्त करेगा और इसके पश्चात् ऐसी सम्पत्ति दावेदार को सौंप दी जाएगी।

20. (1) जहां धारा 19 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई प्रतिवेदन नहीं किया जाता है या धारा 19 की उपधारा (2) के अधीन जिला मजिस्ट्रेट सम्पत्ति को निर्मुक्त नहीं करता है, तो वह अपनी रिपोर्ट सहित मामला इस अधिनियम के अधीन अपराध के विचारण की अधिकारिता रखने वाले न्यायालय को निर्दिष्ट करेगा।

न्यायालय द्वारा सम्पत्ति के अधिग्रहण के स्वरूप की जांच।

(2) यदि जिला मजिस्ट्रेट ने धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन किसी सम्पत्ति की कुर्की करने से इनकार कर दिया है या धारा 19 की उपधारा (2) के अधीन किसी सम्पत्ति को निर्मुक्त करने के लिए आदेश किया है, तो ऐसे इनकार अथवा निर्मुक्त से व्यथित राज्य सरकार या कोई व्यक्ति, उपधारा (1) में निर्दिष्ट न्यायालय को जांच के लिए आवेदन कर सकता है कि क्या सम्पत्ति इस अधिनियम के अधीन विचारणीय अपराध द्वारा या करने के फलस्वरूप अजित की गई थी। ऐसा न्यायालय, यदि वह न्याय के हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो ऐसी सम्पत्ति की कुर्की के आदेश कर सकता है।

(3) (क) उपधारा (1) के अधीन संदर्भ या उपधारा (2) के अधीन किसी आवेदन की प्राप्ति पर, न्यायालय जांच के लिए तिथि नियत करेगा तथा उपधारा (2) के अधीन आवेदन करने वाले व्यक्ति या धारा 19 के अधीन निवेदन करने वाले व्यक्ति, जैसी भी स्थिति हो तथा राज्य सरकार और ऐसे व्यक्ति, जिसका इस मामले में हित जुड़ा हुआ प्रतीत होता है, को नोटिस देगा ;

(ख) इस प्रकार नियत तिथि या बाद की तिथि, जिसके लिए जांच स्थगित की गई पर, को न्यायालय पक्षकारों को सुनेगा, उनके द्वारा प्रस्तुत किए साक्ष्य प्राप्त करेगा, ऐसे अतिरिक्त साक्ष्य, जो वह आवश्यक समझे, मांगेगा, निर्णय करेगा कि क्या संपत्ति किसी गैंगस्टर द्वारा इस अधिनियम के अधीन विचारणीय अपराध करने के फलस्वरूप अजित की गई थी तथा धारा 18 के अधीन ऐसा आदेश पारित करेगा, जो मामले की परिस्थितियों में न्यायसंगत और आवश्यक हो।

(4) उपधारा (3) के अधीन जांच के प्रयोजन हेतु, न्यायालय को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम 5) के अधीन किसी वाद का विचारण करते हुए निम्नलिखित मामलों के संबंध में सिविल न्यायालय की शक्तियां होंगी, अर्थात्—

- (क) किसी व्यक्ति को समन करना तथा उपस्थिति कराना और शपथ पर उसका परीक्षण करना;
- (ख) दस्तावेजों के अन्वेषण तथा प्रस्तुतिकरण की अपेक्षा करना;
- (ग) शपथ-पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करना;
- (घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी सार्वजनिक अभिलेख या उसकी प्रति की मांग करना;
- (ङ) साक्षियों या दस्तावेजों के परीक्षण हेतु कमीशन जारी करना;
- (च) चूक के लिए किसी संदर्भ को खारिज करना या इस पर एकपक्षीय निर्णय लेना;
- (छ) चूक के लिए खारिज या एकपक्षीय निर्णित किसी आदेश को अपास्त करना;

(5) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का केन्द्रीय अधिनियम 1) में दी गई किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, इस धारा के अधीन किसी कार्यवाही में, यह साबित करने का भार कि पश्नगत संपत्ति या उसका कोई भाग गैंगस्टर द्वारा इस अधिनियम के अधीन विचारणीय किसी अपराध के करने के फलस्वरूप अर्जित नहीं किया गया, सम्पत्ति का दावा करने वाले व्यक्ति पर होगा।

जांच के बाद
आदेश

21. यदि ऐसी जांच के उपरान्त, न्यायालय समझता है कि सम्पत्ति, इस अधिनियम के अधीन विचारणीय किसी अपराध के करने के फलस्वरूप अर्जित नहीं की गई थी, तो वह, उस व्यक्ति, जिसके कब्जे से इसकी कुर्की की गई थी, की सम्पत्ति को निर्मुक्त करने का आदेश करेगा। किसी अन्य मामले में, न्यायालय ऐसा आदेश कर सकता है, जो वह कुर्की, जब्ती या उसके कब्जे के हकदार किसी व्यक्ति को सुपुर्दगी द्वारा सम्पत्ति के निपटान के लिए या अन्यथा से उचित समझे।

सम्पत्ति की
समपहरण तथा
कुर्की।

22. (1) जहां इस अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति को दण्डनीय किसी अपराध का दोषी ठहराया गया हो, तो विशेष न्यायालय, लिखित में आदेश द्वारा, किसी भी दण्ड को देने के अतिरिक्त, यह घोषणा कर सकता है कि कोई भी संपत्ति, चल या अचल या दोनों, अभियुक्त से संबंधित हैं और आदेश में विनिर्दिष्ट हैं, तो सभी ऋणधारों से मुक्त राज्य सरकार में समपहृत हो जाएंगी।

(2) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई व्यक्ति किसी अपराध का अभियुक्त है, तो विशेष न्यायालय उसका विचारण करते हुए आदेश पारित करने के लिए स्वतन्त्र होगा कि उससे संबंधित सभी या किन्हीं सम्पत्तियां, चल या अचल या दोनों, ऐसे विचारण की अवधि के दौरान कुर्क की जाएंगी और जहां ऐसे विचारण का समापन दोषसिद्धि के रूप में होता है, तो इस प्रकार कुर्क की गई सम्पत्तियां सभी ऋणधारों से मुक्त राज्य सरकार में समपहृत हो जाएंगी।

(3) (क) यदि, किसी अन्वेषण पुलिस अधिकारी द्वारा लिखित में की गई रिपोर्ट पर, कोई विशेष न्यायालय विश्वास का कारण रखता है कि कोई व्यक्ति, जिसने इस अधिनियम के अधीन कोई दण्डनीय अपराध किया है, भगोड़ा हो गया है या स्वयं को छिपा रहा है ताकि वह गिरफ्तार न हो सके, तो ऐसा न्यायालय, संहिता की धारा 82 में दी गई किसी बात के होते हुए भी, विनिर्दिष्ट स्थान पर तथा कम से कम पन्द्रह दिन, किन्तु घोषणा के प्रकाशन के तीस दिन से अनधिक विनिर्दिष्ट समय पर उसे पेश होने की अपेक्षा करने वाली लिखित घोषणा प्रकाशित करवा सकता है:

परन्तु यदि सम्बद्ध अन्वेषण पुलिस अधिकारी, ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध अपराध के दर्ज होने की तिथि से तीन मास की अवधि के भीतर अभियुक्त, जो भगोड़ा हो गया है या स्वयं को छिपा रहा है, को गिरफ्तार करने में असफल रहता है, तो अधिकारी, उक्त अवधि की समाप्ति पर, उद्घोषणा जारी करने के लिए विशेष न्यायालय को रिपोर्ट करेगा;

(ख) खण्ड (क) के अधीन उद्घोषणा जारी करने वाला विशेष न्यायालय, किसी भी समय उद्घोषित व्यक्ति से संबंधित किसी भी सम्पत्ति, चल या अचल या दोनों, की कुर्की के आदेश कर सकता है और ऐसा होने पर ऐसी कुर्की के बारे में संहिता की धारा 83 से 85 के उपबन्ध लागू होंगे, मानो ऐसी कुर्की संहिता के अधीन की गई थी;

(ग) यदि, कुर्की की तिथि से छह मास के भीतर, कोई व्यक्ति, जिसकी संपत्ति संहिता की धारा 85 की उपधारा (2) के अधीन राज्य सरकार के निपटान पर है या रही है, स्वेच्छा से पेश होता है या गिरफ्तार किया जाता है और विशेष न्यायालय, जिसके आदेश द्वारा सम्पत्ति को कुर्क किया गया था या ऐसे न्यायालय, जिसके अधीनस्थ ऐसा न्यायालय है, के समक्ष लाया जाता है और ऐसे न्यायालय की सन्तुष्टि के लिए सिद्ध करता है कि वह गिरफ्तारी से बचने के उद्देश्य से फरार नहीं हुआ या स्वयं को छिपाया नहीं और उसे उद्घोषणा की ऐसी सूचना नहीं मिली थी, जिससे कि वह निर्दिष्ट समय के भीतर उपस्थित होने में सक्षम हो, तो ऐसी संपत्ति या यदि उसे बेच दिया गया है, तो उसके शुद्ध आगम और संपत्ति का शेष भाग, कुर्की के परिणामस्वरूप उपगत सभी लागतों को पूरा करने के बाद, उसे सौंप दिया जाएगा।

संहिता के
कतिपय उपबंधों
के उपांतरित
आवेदन।

23. (1) संहिता या किसी अन्य विधि में दी गई किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय प्रत्येक अपराध, संहिता की धारा 2 के खण्ड (ग) के अर्थ के भीतर किसी संज्ञेय अपराध के रूप में समझा जाएगा और उस खण्ड में यथा परिभाषित "संज्ञेय मामले" का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा।

(2) संहिता की धारा 167, उसकी उपधारा (2) में निम्नलिखित उपांतरणों के अधधीन, इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध वाले किसी मामले के संबंध में लागू होंगे कि—

(क) "पंद्रह दिन" तथा "साठ दिन" जहां कहीं भी आए हैं, के संदर्भों का अर्थ क्रमशः "तीस दिन" तथा "नब्बे दिन" के संदर्भों के रूप में लगाया जाएगा;

(ख) परन्तुक के बाद, निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात:-

"परन्तु यह और कि यदि नब्बे दिन की उक्त अवधि के भीतर अन्वेषण को पूरा करना संभव नहीं है, तो विशेष न्यायालय, अन्वेषण की प्रगति और नब्बे दिन की उक्त अवधि के बाद अभियुक्त के निरोध के विशिष्ट कारणों को दर्शाने वाली लोक अभियोजक की रिपोर्ट पर उक्त अवधि को एक सौ अस्सी दिन तक बढ़ाएगा।

(3) संहिता की धारा 438 की कोई भी बात, इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध को करने के दोषारोपण पर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी वाले किसी भी मामले के संबंध में लागू नहीं होगी।

(4) संहिता में दी गई किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी भी अपराध के किसी भी अभियुक्त व्यक्ति, यदि वह अभिरक्षा में है, को तब तक जमानत पर या उसके अपने बंधपत्र पर रिहा नहीं किया जाएगा, जब तक कि -

(क) लोक अभियोजक को ऐसी रिहाई के आवेदन के विरोध का कोई अवसर नहीं दिया गया हो; तथा

(ख) जहां लोक अभियोजक आवेदन का विरोध करता है, विशेष न्यायालय संतुष्ट हो जाता है कि यह विश्वास करने के लिए युक्तियुक्त आधार हैं कि वह ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और जमानत पर रहते हुए उसके द्वारा किसी अपराध को करना संभाव्य नहीं है।

(5) संहिता में दी गई किसी बात के होते हुए भी, अभियुक्त को जमानत नहीं दी जाएगी, यदि विशेष न्यायालय के ध्यान में यह आता है कि वह प्रश्नगत अपराध की तिथि को इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध में जमानत पर था।

(6) जमानत प्रदान करते समय, उप-धारा (4) में विनिर्दिष्ट जमानत प्रदान करने की परिसीमाएं, संहिता या तत्समय लागू किसी अन्य विधि के अधीन परिसीमाओं के अतिरिक्त हैं।

(7) न्यायिक अभिरक्षा से अभ्यारोपण से पूर्व या विचारण से पूर्व पूछताछ के लिए किसी व्यक्ति की अभिरक्षा की मांग करने वाला पुलिस अधिकारी, ऐसी अभिरक्षा मांगने के कारण और पुलिस अभिरक्षा की मांग करने में विलम्ब, यदि कोई हो, के बारे में भी कारण स्पष्ट करते हुए एक लिखित कथन दायर करेगा।

24. (1) धारा 3 के अधीन दण्डनीय संगठित अपराध के किसी अपराध के लिए किसी अभियोजन में, यदि यह सिद्ध हो जाता है कि-

धारा 3 के अधीन अपराधों के रूप में उपधारणा।

(क) अभियुक्त के कब्जे से दस्तावेजों या पेपरों सहित विधिविरुद्ध शस्त्र तथा अन्य सामग्री बरामद की गई थी और विश्वास करने का कारण है कि दस्तावेजों या पेपरों सहित ऐसे विधिविरुद्ध शस्त्र तथा अन्य सामग्री को ऐसे अपराध को करने में प्रयुक्त किया गया था; या

(ख) किसी विशेषज्ञ के साक्ष्यों से, अभियुक्त की अंगुलियों के निशान अपराध के स्थल पर या विधिविरुद्ध शस्त्र या अन्य सामग्री सहित दस्तावेजों या पेपरों और ऐसे अपराध के करने के संबंध में प्रयुक्त किए गए वाहन पर पाए गए थे,

तो विशेष न्यायालय यह उपधारित करेगा कि अभियुक्त ने ऐसा अपराध किया था जब तक कि वह प्रतिकूल सिद्ध नहीं हो जाता है।

(2) धारा 3 की उप-धारा (2) के अधीन दण्डनीय संगठित अपराध के किसी अपराध के अभियोजन में यदि यह सिद्ध हो जाता है कि संगठित अपराध के किसी अपराध के किसी अभियुक्त या प्रतियुक्त संदेहप्रद व्यक्ति को कोई वित्तीय सहायता अभियुक्त द्वारा दी गई थी, तो विशेष न्यायालय यह उपधारित करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने उक्त उप-धारा (2) के अधीन अपराध किया है, जब तक कि वह प्रतिकूल सिद्ध नहीं हो जाता है।

अपराध का संज्ञान तथा अन्वेषण ।

25. (1) संहिता में दी गई किसी बात के होते हुए भी, —
- (क) इस अधिनियम के अधीन किसी संगठित अपराध वाले अपराध को करने के बारे में, पुलिस अधिकारी, जो उप पुलिस महानिरीक्षक की पदवी से नीचे का न हो, के पूर्व अनुमोदन के बिना, किसी पुलिस अधिकारी द्वारा कोई भी सूचना अभिलिखित नहीं की जाएगी;
- (ख) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन किसी अपराध का कोई भी अन्वेषण, पुलिस उप अधीक्षक की पदवी से नीचे के किसी अधिकारी द्वारा नहीं किया जाएगा।
- (2) कोई भी विशेष न्यायालय, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा ।

लोक सेवकों के लिए दण्ड ।

26. जो कोई भी लोक सेवक होते हुए धारा 2 के खण्ड (ड़) में यथा परिभाषित संगठित अपराध को करने में, चाहे संगठित अपराध सिंडिकेट के किसी सदस्य द्वारा किसी अपराध को करने से पूर्व या के बाद किसी भी रीति में कोई सहायता या समर्थन करता है या इस अधिनियम के अधीन विधिपूर्ण उपायों को करने से बचता है या इस संबंध में किसी न्यायालय के या वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देशों को कार्यान्वित करने से जानबूझकर टलता है, तो ऐसी अवधि के कारावास, जो तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माने से भी, दण्डनीय होगा ।

किसी अन्य विधि के अल्पीकरण में कार्यवाही का नहीं होना ।

27. इस अधिनियम के उपबंध, इस अधिनियम के अधीन विशिष्ट रूप से उपबन्धित के सिवाए, तत्समय लागू किसी अन्य विधि के उपबन्धों के अतिरिक्त होंगे और न कि अल्पीकरण में, इस अधिनियम के अधीन विशिष्ट रूप से उपबन्धित प्रयोजनों के अलावा, इस अधिनियम के अधीन विशिष्ट रूप से उपबन्धित से अन्यथा उपबन्धों में किसी असंगति के मामले में, केन्द्रीय अधिनियमों के उपबन्धों का असंगति की सीमा तक अधिभावी प्रभाव होगा ।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण ।

28. इस अधिनियम के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए राज्य सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी या प्राधिकारी के विरुद्ध कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्रवाई नहीं हो सकेगी ।

उच्च न्यायालय को नियम बनाने की शक्ति ।

29. पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे नियम बना सकता है, जो यह विशेष न्यायालयों के संबंध में इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए उचित समझे ।

राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति ।

30. (1) धारा 29 के अधीन नियम बनाने की पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय की शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है ।

- (2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, इसके बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, राज्य विधानमण्डल के सम्मुख रखा जाएगा ।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

हरियाणा में अपराध के रुझानों के अध्ययन से पता चला है कि पिछले दशक में राज्य में अपराध के पैटर्न में बदलाव देखने को मिला है। पहले व्यक्ति विशेष अथवा समूह द्वारा जघन्य अपराध जैसे हत्या, डकैती, अपहरण और जबरन वसूली किए जाते थे, लेकिन पिछले एक दशक में हरियाणा में गैंगस्टर और संगठित अपराध का प्रचलन हुआ है। नई उम्र के अपराधियों के गिरोहों ने एक संगठित आपराधिक अद्यम के रूप में जीवन जीना शुरू कर दिया है।

ऐसे उदाहरण सामने आए हैं कि हरियाणा के कुछ जिलों में सक्रिय, संगठित आपराधिक गिरोहों ने अपराधियों का एक संगठित नेटवर्क स्थापित कर लिया है, जिनमें शूटर, मुखबिर, गुप्त सूचना देने वाले और हथियार आपूर्तिकर्ता शामिल हैं। अच्छी तरह परिभाषित सदस्यता और पदानुक्रम के साथ उचित रूप से ये गिरोह मुख्य रूप से सुपारी हत्याओं, व्यावसायियों को धमकी देकर जबरन वसूली, मादक पदार्थों की तस्करी, सुरक्षा रैकेट्स आदि पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जिनमें भारी लाभ मिलने की संभावना होती है। ये गिरोह संपत्ति पर कब्जा करने के लिए अपराध करते हैं, अपने सहयोगियों की देखभाल करते हैं जो जेल में हैं, महंगे आपराधिक मुकदमों लड़ने वाले वकीलों की सेवाएं लेते हैं और गवाहों को मारते हैं जो उनके खिलाफ गवाही देने की हिम्मत करते हैं।

इस तरह के अपराधी आपराधिक कानून और प्रक्रिया के सुधार और पुनर्वास संबंधी पहलुओं का भी फायदा उठाते हैं और आगे अपराध करने के लिए हिरासत से रिहा हो जाते हैं। कुछ समय में ही ये गिरोह जनता में अपनी एक डरावनी छवि बना लेते हैं। इस तरह की छवि व्यापारियों और उद्योगपतियों से सुरक्षा के बदले धन की उगाही में इन गिरोहों की मदद करती है, इस प्रकार यह उनके खजानों को भरती है।

यह नीति निर्माताओं और आंतरिक सुरक्षा विशेषज्ञों के लिए चिन्ता का विषय है कि वे इस तरह की आपराधिक गतिविधियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए कड़े कानून की आवश्यकता है। कुछ राज्यों में पहले से ही विशेष कानून बनाए गए हैं। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र राज्य ने 1999 में महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम लागू किया था, जिसे बाद में दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र ने भी अपनाया। उत्तर प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक राज्य ने भी अपने संबंधित अधिनियम बनाए हैं।

हरियाणा राज्य में संगठित अपराध की उभरती स्थिति के मद्देनजर, यह अनिवार्य हो गया है कि राज्य में भी इसी प्रकार का कानून लागू किया जाए जो गैंगस्टर, उनके मुखियाओं और संगठित आपराधिक गिरोहों के सदस्यों के खिलाफ प्रभावी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करता हो। इस तरह के मजबूत कानून के द्वारा अपराधियों के खिलाफ ठोस और निवारक लेकिन कानून सम्मत कार्रवाई करने के लिए पुलिस को सशक्त बनाएं। ऐसे अपराधों की आय से अर्जित संपत्ति को जब्त करने और इस अधिनियम के तहत अपराधों के मुकदमों से निपटने के लिए विशेष अदालतों और विशेष अभियोजकों की व्यवस्था करने के लिए विशेष प्रावधानों को भी लागू करने की आवश्यकता है।

अनिल विज,
गृह मंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़:
दिनांक 21 मार्च, 2023.

आर० के० नांदल,
सचिव।

प्रत्यायोजित विधान ज्ञापन

विधेयक के खण्ड 29 में यह प्रावधान है कि उच्च न्यायालय, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे नियम बना सकती है, जो यह विशेष न्यायालयों के संबंध में इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए उचित समझे।

विधेयक के खण्ड 30 के उप-खण्ड (1) में यह प्रावधान है कि राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजन को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।